

प्रस्तावना

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत करने हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें थलसेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सीमा सड़क संगठन तथा सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित मामले जो रक्षा मंत्रालय के वित्तीय कार्य संपादन के लेखापरीक्षा से उदभूत हुए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखों के लिए उदभूत मामलों को वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 32 पैराग्राफ सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हैं जैसा कि अध्याय II और उसके आगे विवेचित है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले सम्मिलित किए गए हैं जो 2010-11 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए। पूर्ववर्ती वर्षों के ऐसे मामले जो पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे तथा 2010-11 की अवधि के परवर्ती मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित किए गए हैं।